



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 1977/कार्तिक 11, 1899

No. 18] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 1977/KARTIKA 11, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1977

का० नि० प्रा० 23-ई.—छावनी अधिनियम, 1924(1924 का 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 11 दिसम्बर, 1977 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को सिकन्दराबाद छावनी वार्ड सं० I से III तथा V से VII में साधारण निर्वाचन किए जायेंगे।

[स० फा० 29/42/मी/एन एण्ड सी/66 3326-सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

विनय व्यास, मयुक्त सचिव।

**MINISTRY OF DEFENCE****NOTIFICATION**

*New Delhi, the 1st November 1977*

**S.R.O. 23-E.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby fixes 11th December, 1977 as the date on which elections in Secunderabad Cantonment in Ward Nos. I to III and V to VII shall be held.

[No. F 29/42/C/L&C/66/3326-C/D(Q&C)]

VINAYA VYAS, Jt. Secy.

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासपालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977